



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशांभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक : रात्रभमवि/अल/संस्थापन/2020/SPL-7

दिनांक : 17-4-2020

प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक

सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय,
अलवर।

विषय :- विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षाओं के आयोजन एवं आगामी सत्र के सम्बन्ध में कार्ययोजना बाबत।

संदर्भ :- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक प.18 (2)/शिक्षा-4/2019 जयपुर दिनांक 12.04.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते विश्वविद्यालय की प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षाओं को सरकार के आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।


उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थगित परीक्षाओं को करवाने व आगामी सत्र प्रारंभ करने के संदर्भ में सुझाव देने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं एवं राज्य सरकार के अभिमत के अनुसार परिस्थितियां अनुकूल होने पर कोविड-19 से बचाव हेतु केन्द्र एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करते हुए, जून 2020 के प्रथम सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से पहले स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं एवं स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध सहित अन्य परीक्षाएं 15 जून के पश्चात आयोजित की जावेगी।

उपर्युक्त परीक्षाओं के विद्यार्थियों के विगत वर्षों के ड्यू प्रश्न-पत्रों की परीक्षाएं भी पृथक से उनकी मुख्य परीक्षाओं के साथ तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएं भी उनकी मुख्य परीक्षा के साथ अथवा उसके तुरन्त बाद कराई जावेगी।

उक्तानुसार परीक्षाओं के आयोजन हेतु नवीन समय-सारणी तैयार कर विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड कर दी जावेगी।

अतः उपर्युक्तानुसार परिवर्तित तिथियों के अनुसार परीक्षा आयोजन की पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने का श्रम करें।

संलग्न : यथोपरि संदर्भित पत्र।



कुल सचिव

क्रमांक : रात्रभमवि/अल/संस्थापना/2020/SPL-8-12

दिनांक : 17-4-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. वित्त नियंत्रक।
4. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय।
5. रक्षित पत्रावली।


कुल सचिव